राजस्थान राज-पत्र

Regd. No. RJ. 2539.

RAJASTHAN GAZETTE

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 16, गुरुवार, शाके 1898–जनवरी 6, 1977

Pausa 16, Thursday, Saka 1898—January 6, 1977

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 18, 1976

संख्या एफ.3 (1) (17) एल.एस.जी./74:—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या-38 सन् 1955) की धारा डी. व ओ. की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा संलग्न नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा बनाई गई विज्ञापन उप-विधियां 1976 को धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड ए.सी. के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1955) की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद्, जोधपुर एतद्द्वारा निम्नांकित उपविधियां बनाती है, नामतः—

नगर परिषद् जोधपुर विज्ञापन उपविधियां, 1976

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभावः—(क) ये उपविधियां नगर परिषद्, जोधपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 1976 कहलावेगी।

(ख) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से सात दिन बाद प्रभावशील होंगी।

(ग) ये उपविधियां नगर परिषद्, जोधपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएंः—जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी।

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत नगर परिषद् के अध्यक्ष से है तथा प्रशासक की अवस्था में प्रशासक सम्मिलित है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है।

(ख) "अनुज्ञा पत्र" (लाईसेन्स) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञा-पत्र से है।

(ग) "अनुज्ञा-पत्र धारी" (लाइसेन्सी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्त्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है।

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत परिषद् के आयुक्त से है, राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत परिषद् के राजस्व अधिकारी से है।

(ङ) "नगर पालिका सूचना पट्ट" से अभिप्रेत परिषद द्वारा नियुक्त पट्ट से है। जो किसी भी प्रकार के सूचना पट्ट, विज्ञापन, हस्त विपत्र (हैण्ड बिल) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये परिषद द्वारा निश्चित किया गया हो।

(च) "परिषद्" से अभिप्रेत नगर परिषद जोधपुर से है तथा उसमें प्रशासक सम्मिलित है।

(छ) "विज्ञापन" से अभिप्रेत ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट से है जैसे :—प्लेकार्ड, हस्तविपत्र, रेखाचित्र, नामपट्ट, विद्युतचलित विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है, जो किसी भवन या दीवार पर प्रदर्शित हो पर किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो अथवा किसी फर्म अथवा व्यक्ति विशेष का नाम प्रदर्शित करे।

(ज) सोफेस्टीकेटेड एरिया से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाइसेंसिंग आथोरिटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3. निरसनः—इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात इन उपविधियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण नियम, उपनियम प्रस्ताव व विज्ञप्तियां एवं आदेश जो भी प्रचलित है समग्र रूप से विखण्डित हो जावेंगे परन्तु इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व में उक्त नियमों, उपनियमों, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां व किसी भी आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो।

4. निषेधः—(1) परिषद की सीमा में:—कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल मार्ग मय फुटपाथ, पेड़, नगर प्राचीर नगर द्वार, बिजली या टेलीफोन के खम्भे, चल-वाहनों पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नहीं लगावेगा और न चिपकावेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर व नगर द्वार, बिजली या टेलीफोन के खम्भे, चलवाहन पर नहीं लिखेगा न चित्रित करेगा और न अन्य किसी प्रकार की तरकीबों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का खयाल करे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग, सड़क, पुल, नगर-प्राचीर या नगर द्वार, बिजली या टेलीफोन के खम्भों व चलवाहनों पर या उससे सटता हुआ किसी प्रकार का कोई विज्ञापन बिना अनुज्ञा-पत्र के न तो लटकावेगा और न ही प्रदर्शित करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अथवा स्वामी निजी भवनों के ऐसे स्थान पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं, अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन आदि नहीं चिपकावेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा, न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा। न ही चित्रित करने की स्वीकृति देगा।

5. अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति की प्रणाली:—(क) इन उप-विधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त नगर परिषद्, जोधपुर अनुज्ञा-पत्र प्राधिकारी (लाइसेंसिंग आथोरिटी) होंगे।

(ख) किसी विज्ञापन को सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने, लगाने, लिखने अथवा चित्रित करने या आर पार लटकाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उप-विधि (4) में वर्णित किसी भी कार्य के लिये लिखित आवेदन-पत्र देगा और आवेदन-पत्र के साथ ही ऐसे विज्ञापन की एक प्रति तथा चिपकाये या लिखने वाले स्थान आदि पूरी जानकारी प्रस्तुत करेगा, परन्तु विज्ञापन एंगिल आइरन अथवा अन्य प्रकार के निजी खम्बों के आधार पर पट्ट लगाकर सार्वजनिक मार्ग में निर्दिष्ट स्थानों पर लगाना है तो उसका पूरा विवरण मय निर्माण की प्रणाली के पट्टों का नाम व साइज भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदन-पत्र की स्वीकृति होने पर परिषद् के किसी भी भू-भाग पर विज्ञापन पट्ट लगाने का वार्षिक शुल्क 2) प्रति वर्ग फुट होगा जो अग्रिम जमा कराना होगा।

(1) किसी भी महत्वपूर्ण स्थान को जिसका कि शुल्क ज्यादा आ सकता है उसे परिषद् के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये नीलाम भी किया जा सकता है। उपरोक्त नीलामी की स्वीकृति पूर्व में आयुक्त से ली जावेगी।

(2) राजकीय विज्ञापन पर सक्षम अधिकारी (लाइसेंसिंग आथोरिटी) द्वारा विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगी।

(घ) यदि आवेदन पत्र नगरपालिका सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो आवेदन की उतनी ही प्रतियां विज्ञापनों के साथ भी प्रस्तुत करेगा जितनी कि वह चिपकाना चाहता है। और आवेदन-पत्र में उन नगरपालिका सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का इच्छुक है लेकिन ऐसी सूचनायें। विज्ञापन-पत्र 60×80 सी. एम. के हिसाब से होगी।

6. इन उप-विधियों की उपविधि (5) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। यदि—

(1) आवेदन-पत्र में उप-विधि (5) की शर्तों की पूर्ती नहीं की गई है।

(2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील है या नागरिकों के लिये बेकार है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील, अभद्र, नग्न अथवा नशे के चित्र या संकेत या लिखित रूप में प्रदर्शित किये गये हैं।

(3) विज्ञापन से जन शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन संगठन में बाधक हो और

(4) विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

7. आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित हो या चित्रित हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या संगठन में बाधक हो या उप-विधि (6) के अन्तर्गत आते हों या बिना स्वीकृति लगाये हों या विशेषतया किसी विशिष्ट भव्य जन के आप-मान पर बाधक समझा जावे या यदि पट्ट निजी है और भद्दी हालत में रखा जाता है तो हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करवा सकेंगे।

8. प्रत्येक विज्ञापन आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित होगा। जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जावे।

9. इन उप-विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति-पत्र या अनुज्ञा-पत्र अहस्तान्तरणीय होंगे। हर होर्डिंग पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

10. इन उप-विधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी, उनके लिये परिषद् किसी प्रकार की क्षति की उत्तर-दायी नहीं होगी और न वह शुल्क लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिये जमा की गई है।

11. (क) नगर परिषद् द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी निजी भवन की ऐसी दीवार पर जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। बशर्ते कि स्वच्छ वायु पर कुप्रभाव न पड़े। यदि ऐसे निजी भवन पर नगरपालिका के सूचना पट्ट का निर्माण कराया जावेगा तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित मात्रा में परिषद द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी को दिया जा सकेगा।

(ख) ऐसे सूचना पट्ट नगर के भिन्न-भिन्न बाजारों अथवा चौराहों पर निर्माण कराये जावेंगे और ये 4×3 फिट से अधिक बड़े नहीं होंगे।

12. नगरपालिका सूचना-पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा कि—

(अ) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है तो नगरपालिका के उक्त पट्टों पर जिनके बाबत आवेदक ने प्रार्थना की है एक प्रति किसी कर्मचारी द्वारा लगवा देगा।

(ब) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुये उसकी प्रतियां वापिस आवेदक को लौटा देगा।

(स) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है तो वह भी वापिस लौटा दी जावेगी।

13. जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित हो तथा ऐसी जगह पर किसी प्रकार का विज्ञापन पट्ट अगर लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने, लिखवाने, चित्रित करने या चित्रित करवाने के लिये आवेदन-पत्र देगा उसे भी निम्न-लिखित शर्तों पर अनुज्ञा-पत्र दिया जा सकेगा।

(1) निजी भवन पर विज्ञापन लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा अथवा उसका शुल्क नगर परिषद् विज्ञापन पट्ट पर लगाये जाने वाले विज्ञापन शुल्क का 1/2 भाग नगरपालिका में अग्रिम जमा कराना होगा।

(2) यदि आवेदक स्वयं भवन का मालिक नहीं है तो उसे भवन के मालिक का ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(3) यदि आवेदक स्वयं भवन का मालिक नहीं है और वह अपने नाम से अनुज्ञा-पत्र लेने का इच्छुक है तो उसे भवन के मालिक का यह भी लिखित "दायित्व-पत्र" प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक का वार्षिक शुल्क समय पर जमा नहीं करेगा तो भवन का मालिक स्वयं जमा करवा देगा।

(4) यदि विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बैंगनी रंग से पेंट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेंट किया हुआ होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा नगर परिषद् द्वारा निर्दिष्ट रंग व नाप का होगा।

(5) ऐसे विज्ञापन को दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा।

(6) प्रथम वर्ष की शुल्क अग्रिम जमा हो जाने के पश्चात् आगामी वर्षों की कुल शुल्क जमा कराने का उत्तरदायित्व गृह स्वामी का ही होगा शुल्क समय पर जमा न होने की सूरत में नियमानुसार वसूल किया जावेगा।

14. प्रतिबन्धः—(1) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जायेगा जिसमें वाणिज्य संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा वे आच्छादित हो जावें।

(2) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुन्डेर पर अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु मुन्डेर के पीछे छत पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती बशर्ते ऐसा विज्ञापन मुन्डेर से 3 फिट की उंचाई से अधिक न हो।

(3) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ और सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जायगा।

(4) विज्ञापन होर्डिंग का साइज कम से कम 12 × 8 फिट का होगा। इसका निचला भाग जमीन से या जमीन की सतह से 6 फिट की ऊंचाई पर रहेगा।

(5) किसी भी सड़क के आर पार किसी प्रकार कोई विज्ञापन न तो लटकाया जायेगा और न प्रदर्शित किया जायेगा जिससे कि मुख्य चालकों की दृष्टि उन पर न पड़े।

(6) किसी भी सार्वजनिक भवन प्राचीर व दीवार उदाहरणार्थ अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक कार्यालय, राष्ट्रीय स्मारक पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।

छूटियाँः—जन हित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र या अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करे या प्रदर्शित करने का निर्देश दे उदाहरणार्थ-सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धित विज्ञापन व पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल सम्बन्धी चिन्ह आदि।

15. विज्ञापन पत्र अथवा सूचना-पत्र जो कि उप विधि (13) नियम (1) के अनुसार नगर परिषद् सूचना पट्ट पर चिपकाये जावेंगे व आयुक्त के आदेश से चिपकाने की तिथि से स्पष्ट 15 दिन पश्चात् बलूना जारी को बिना पूर्व सूचना के भी हटा दिये जा सकते हैं।

16. जो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम के ऐसे विज्ञापन लगाये, साइन बोर्ड अथवा नामांकन पत्र जो उसकी स्वयं की दुकान अथवा व्यवसाय अथवा नाम से सम्बन्ध रखते हों और स्वयं की ही दुकान या व्यवसाय या भवन पर लगाये गये हों उन पर ये विधियां प्रभावशील नहीं होंगी, मगर ऐसे विज्ञापन साइन बोर्ड 2 वर्ग फुट से अधिक नहीं होंगे।

17. किसी भी व्यक्ति/दुकानदार/फर्म। अथवा व्यवसाय की नगर परिषद् द्वारा शहर के सौन्दर्यकरण हेतु अपने मकान।दुकान।फर्म अथवा व्यवसाय के आगे किसी विशेष रूप से नाम पट्ट या व्यवसाय पर उस व्यक्ति।दुकानदार फर्म।अथवा व्यवसाय को इन उप विधियों के तहत अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

18. निम्नांकित हस्तबिल अथवा सूचना निःशुल्क चिपकाई जावेगी:—

(1) वे समस्त सूचनाएं जो नगरपालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होंगी।

(2) वे समस्त सूचनाएं जो विशुद्ध धार्मिक हों अथवा जन हित में उचित प्रतीत होती हों अथवा उपविधि 15 में अंकित हैं।

19. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापत्रित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे अथवा चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावेगा।

20. परिषद् के प्रत्येक राजस्व निरीक्षक अथवा वार्ड जमादार का कर्तव्य होगा कि वे अपने 2 क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राप्त प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

21. इन उप नियमों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा।

22. उप नियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील, परिषद् को, आदेश की प्राप्ति की तिथि से, दो सप्ताह की अवधि में की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद किया जावेगा।

23. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राज. समझौता नियम, 1966 के प्रावधानानुसार होगा।

24. इन उप विधियों में से किसी भी उप विधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा रुपये 200) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक रुपये 5) प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

25. अर्थदण्ड की धन राशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 263 के अनुसार परिषद् कोष में भेजी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सत्यनारायण सिंह,
उप शासन सचिव।